



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12102022-239572
CG-DL-E-12102022-239572

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4616]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 11, 2022/आश्विन 19, 1944

No. 4616]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 11, 2022/ASVINA 19, 1944

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अक्टूबर, 2022

का.आ. 4826(अ).—केन्द्रीय सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को कच्चे तेल के परिवहन के लिए, न्यू मुंद्रा—पानीपत पाइपलाइन परियोजना के तहत, चुडवा गांव से पानीपत तक पाइपलाइन को तहसील : सांचोर, जिला : जालोर, राज्य : राजस्थान में बिछाई जानी चाहिए।

और केन्द्रीय सरकार को ऐसी पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ऐसी भूमि में जो इस से उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित है, और जिस में उक्त पाइपलाइन बिछाई जाने का प्रस्ताव है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना में युक्त भारत के राजपत्र की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, इक्कीस दिन के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के लिए, उसमें उपयोग के अधिकार अर्जन के सम्बन्ध में श्री राजीव कुमार पाण्डे (सेवानिवृत्त ए. डी. एम.), सक्षम प्राधिकारी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, न्यू मुंद्रा पानीपत कच्चा तेल पाइपलाइन परियोजना, एफ. सी. आई. अरावली जिप्सम एवं मिनरेल्स इंडिया लिमिटेड, (एफ. ए. जी. एम. आई. एल.) बिल्डिंग, प्रथम तल, इन्स्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर—बी, विवेक विहार स्कीम, जोधपुर — 342005, राजस्थान को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

तहसील – सांचोर		जिला – जालोर	राज्य – राजस्थान		
क्रम सं.	गांव का नाम	खसरा सं.	संपादित क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
1	लाछीवाड़गोलीया	506 / 577	00	01	13
		507	00	38	30
		509	00	20	66
		519	00	34	18
		520	00	14	86
		521	00	30	95
		527	00	43	88

[फा. सं. आर-11029/33/2022-ओआर-I/E-42962]

पी सोमाकुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th October, 2022

S.O. 4826(E).—Whereas, it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest to lay Crude Oil Pipeline from Chudva to Panipat under New Mundra - Panipat Pipeline Project by Indian Oil Corporation Limited in Tehsil **Sanchoe** of **Jalore** District in State of Rajasthan.

And whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying the said pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed to this notification.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub Section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein.

Any person interested in the land described in the said schedule may, within twenty-one days from the date on which the copies of this notification, as published in the Gazette of India, are made available to the General Public, object in writing to the acquisition of the right of user therein or laying of the pipeline under the land to Shri Rajiv Kumar Pandey(Retd. ADM), Indian Oil Corporation Limited, New Mundra Panipat Pipeline Project, FCI Aravali Gypsum & Minerals India Limited (FAGMIL) Building, 1st Floor Institutional Area, Sector-B, Vivek Vihar Scheme, Jodhpur – 342005, Rajasthan.

SCHEDULE

Tehsil:- Sanchoe		District:- Jalore	State :- Rajasthan		
Sl. No.	Name of the Village	Khasara No.	Area to be acquired		
			Hectare	Are	Sq.mtr.
1	2	3	4	5	6
1	LACCHIWARGOLIYA	506/577	00	01	13
		507	00	38	30
		509	00	20	66
		519	00	34	18
		520	00	14	86
		521	00	30	95
		527	00	43	88

[F. No. R-11029/33/2022-OR- I/E-42962]

P SOMAKUMR, Under Secy.